Email

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 2/प0 1–106/11 / 52

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव (प्र0को0)।

सेवा में,

1. श्री राकेश कुमार पोद्दार, पिता– श्री सुरेश पोद्दार, ग्राम–फतेहपुर, पोस्ट–धनोखर, थाना–सनोखर, भाया– एकचारी, जिला–भागलपुर
2. श्री मनोज कुमार, पिता– श्री भनराज महतो, ग्राम– किरीगरा, पोस्ट– बुंदु, भाया– बचरा, जिला– हजारीबाग
3. श्री अभिषेक नन्दन, पिता– श्री राजनन्दन प्रसाद, मोहल्ला–कृष्णापुरी, खण्डकपारा, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा
4. श्री रजनीश कुमार, पिता– श्री रामदहीन राम, बरारी कोइलरी 6 पीर, भूलन बरारी, धनबाद।
5. श्री चंदन कुमार, पिता– श्री अशोक यादव, मुहल्ला–कृष्णापुरी भतडीहा, पोस्ट–गोड्डा, जिला–गोड्डा, झारखंड
6. श्री चंदन कुमार, पिता– श्री लखेन्द्र प्रसाद, मोहल्ला– लिच्ची गाछी, गोला बांध रोड, मुजफ्फरपुर
7. मो0 अख्तर, पिता– मो0 जब्बार, ग्राम–पदमपुर, पोस्ट–हसनगंज, भाया–रानीपतरा, थाना– डंडखोरा, जिला–कटिहार
8. श्री तरुण, पिता– श्री योगेन्द्र प्रसाद शर्मा, ग्राम–घोघी, पोस्ट–लोसाघानी, जिला–लखीसराय
9. श्री अनिल कुमार विमल, पिता– श्री रविन्द्र मिस्त्री, ग्राम–रौदा मठ, पोस्ट–तिनेरी, थाना–मुरारू, जिला–गया
10. श्री नवीन कुमार, पिता– श्री हिसाबी प्रसाद, द्वारा–श्री के0पी0 पोद्दार, ग्राम–सुभाष नगर, पोस्ट–पूर्णियाँ, जिला–पूर्णियाँ
11. श्री रविन्द्र कुमार, पिता– श्री शिवाधार चौधरी, ग्राम+पोस्ट–अगियाँव बाजार, चौधरी दुकान, जिला–भोजपुर
12. श्री राज किशोर राय, पिता– श्री जय गोविन्द राय, ग्राम–तुर्कबलिया, पोस्ट–नैनी, थाना–छपरा, जिला–सारण
13. श्री अमित कुमार रजक, पिता– श्री रामचन्द्र रजक, ग्राम–जमालपुर, पोस्ट–विहपुर, जिला–भागलपुर
14. श्री आशुतोष कुमार रजक, पिता– श्री महेन्द्र प्रसाद रजक, द्वारा–देवनारायण रजक, वार्ड नं0–09, थाना रोड, बनमंखी, पोस्ट–बनमंखी, जिला–पूर्णियाँ

15. श्री निर्भय कुमार मंडल, पिता– स्व0 इन्द्रदेव मंडल, ग्राम+पोस्ट–खवासपुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर

16. श्रीमती प्रनोति प्रधान, पिता– श्री बैद्यनाथ सिंह, ग्राम–प्रसाद बिघा, पोस्ट–सनसा, थाना–दाउदनगर, जिला–औरंगाबाद

पटना, दिनांक– 25/03/17

विषय– संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर तृतीय पुनर्नियोजन हेतु एकरारनामा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग) के पत्रांक–7287 दि0–08.12.11 के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिसूचना सं0–16 दि0–20.01.2012 द्वारा आपको कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया गया था जिसकी संविदा अवधि जनवरी 2013 में समाप्त हो गयी तथा आदेश सं0–146 दि0–06.12.13 द्वारा प्रथम पुनर्नियोजन एवं आदेश सं0–138 दि0–30.07.15 द्वारा द्वितीय पुनर्नियोजन किया गया। द्वितीय पुनर्नियोजित में से वैसे उम्मीदवार जिनका कार्यकलाप संतोषप्रद रहा है तथा जिनके विरुद्ध कोई शिकायत/आरोप प्राप्त नहीं है, उन्हीं को पुनः अगले एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए तृतीय पुनर्नियोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विहित प्रपत्र में नये सिरे से एकरारनामा किया जाना है।

अतः दि0–06.04.2017 तक विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित तिथि तक एकरारनामा सम्पादित नहीं करने पर तृतीय पुनर्नियोजन हेतु आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। एकरारनामा के साथ पासपोर्ट साईज़ का दो अदद् फोटो एवं असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी समर्पित करना होगा।

अनुलग्नक– एकरारनामा प्रारूप

विश्वासभाजन

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक– 152 दिनांक– 25/03/17

प्रतिलिपि– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाय।

(दया शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा .... विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित होने वाले श्री .... के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है:-

1. यह नियोजन केवल .... (पद का नाम) के लिए किया जायेगा।

2. यह नियोजन संविदा के आधार पर अधिकतम 01 (एक) वर्ष के लिए किया जायेगा।

3. संविदा के आधार पर नियोजित श्री .... को रू0 .... प्रतिमाह एक मुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।

4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

6. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।

7. संविदा के नियोजन के उपरान्त नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंट्रेक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर यह एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।

10. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

......................विभाग, बिहार, पटना।

नियोजित व्यक्ति